न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 59 / 2020 दायरा दिनांक : 22.09.2020

उनवान

1 बालाबक्श पुत्र पन्नालाल, जाति लोधा, निवासी मेडीवाला पुरा उर्फ खेरखेडीमाता, तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

2 लक्ष्मीनारायण पुत्र पन्नालाल, जाति लोधा, निवासी मेडीवाला पुरा उर्फ खेरखेडीमाता, तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1 कालूलाल पुत्र नाथ, जाति मेहर, निवासी खेरखेडीमाता उर्फ मेडीवालापुरा हाल मुकाम सुमर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2 फलूचन्द उर्फ मूलचन्द आत्मज नाथू, जाति मेहर, निवासी मेडीवालापुरा उर्फ खेरखेडी माता, तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री संजय पाटोदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.12.2020

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 24/दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 23.07.2019 न्याय, विधि, एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुने बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एवं एक तरफा निर्णय प्रदान कर दिया है जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने बस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि वादग्रस्त भूमि को रेस्पो0 वादीगण के पिता नाथ जी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 05.04.73 को अपीलान्टस के पिता पन्ना जी व राधाकिशन जी को विक्रय कर भूमि पर कब्जा संभला दिया था, विक्रय की दिनांक से ही अपीलान्टस के पिता वादग्रस्त भूमि पर अपने जीवन पर्यन्त काबिज होकर काश्त करते रहे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलान्टस वादग्रस्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। अर्थात अपीलान्टस का वादग्रस्त भूमि पर सन् 1973 से निरन्तर गत 47 साल से कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की और भी कोई ध्यान नहीं दिया गया कि बेदखलीय दावे से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना अत्यन्त आवश्यक होता है परन्तु फिर भी वादीगण द्वारा वाद में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं दी गई, इस कारण साक्ष्य के अभाव में भी वाद को खारिज किया जाना चाहिये था। परन्तु फिर भी उक्त तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज करते हुए बिना साक्ष्य के ही वाद डिक्री कर दिया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की और भी ध्यान नहीं दिया गया कि वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट का करीब 47 सालों से निर्वाध, शान्ति पूर्ण बहैसित खातेदार कब्जा चला आ रहा है इस कारण वादी दवारा प्रस्तुत वाद मैनटेनेबल नहीं है एवं मियाद बाहर है कारण कि वादीगण के पिता स्वयं द्वारा दिनांक 05.04.73 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा उक्त विवादित भूमि को विक्रय विक्रय की तिथि से ही वादीगण

(अहेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

रेस्पो. को उक्त तथ्य की पूर्ण जानकारी थी। इस कारण वादीगण रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद अवधि अधिनियम के नियमों से बाधित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को नहीं हो सकी चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जारी किया समन न तो उनको मिला व न ही अपीलान्ट ने लेने से मना किया और मकान पर चस्पा ही दिया गया तथा एकतरफा कार्यवाही करते हुए उक्त निर्णय एवं पक्षीय दिनांक 23.07.19 को निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.09.2020 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया । डिक्री की प्रोपर तामील नहीं हुई है । बेदखली के दावे में एवीडेंस होती है बिना ऐवीडेंस के अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री कर दिया । हमने वादग्रस्त आराजी 1973 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी थी । अधीनस्थ न्यायालय में राधाकिशन को पक्षकार नहीं बनाया । प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी पर किस आधार पर कब्जा किया यह सिद्ध नहीं किया । बेदखली के दावे की मियाद 12 साल होती है । दावा मियाद बाहर है इसलिए दावा निरस्त योग्य है । हमें जवाब का अवसर देकर सी पी सी के प्रावधानों की पालना कर सुनवाई का अवसर देवे । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि विवादित आराजी पर रेस्पोडेंट आज रिकार्डेड खातेदार हैं । जमाबंदी प्रदर्श 1 पेश की । हमारे बयान हुए हैं । तामील गलत थी तो अधीनस्थ न्यायालय में चैलेन्ज करते । 1973 से आज तक किसी ने चैलेन्ज नहीं किया । रेस्पोडेंट अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, हम सवर्ण जाति के है । प्रारम्भ से बेचान अवैध है । अतः अधीनस्थ न्यायालय ने दावा सही डिक्री किया है ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई । सम्मन की प्राप्ति प्रतिवादीगण के भाई के द्वारा की गई है । अतः अपीलांट का यह कहना कि हमें सुनवाई का अवसर नहीं दिया, उचित नहीं है । अपीलांट द्वारा अपील के साथ एक पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 05.4.73 का प्रस्तुत किया है जिसमें वादग्रस्त आराजी को अपीलांट के पिता ने रेस्पोडेंट के पिता से क्रय करना बताया । इस बेचाना–नामा का उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में नहीं है । अभिभाषक रेस्पोडेंट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय किया है, जो सही है । बेचान–नामा प्रारम्भ से ही शून्य है क्योंकि यह बेचान अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा सवर्ण के पक्ष में किया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन है। अपीलांट इस बेचाननामा के आधार पर भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते ।

उक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिनुकूल है इसमें कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– बालाबक्श पुत्र पन्नालाल, जाति लोधा, निवासी मेडीवाला पुरा उर्फ खेरखेडीमाता, तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

2– लक्ष्मीनारायण पुत्र पन्नालाल, जाति लोधा, निवासी मेडीवाला पुरा उर्फ खेरखेडीमाता, तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– कालूलाल पुत्र नाथ, जाति मेहर, निवासी खेरखेड़ीमाता उर्फ मेडीवालापुरा हाल मुकाम सुमर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– फलूचन्द उर्फ मूलचन्द आत्मज नाथू, जाति मेहर, निवासी मेडीवालापुरा उर्फ खेरखेडी माता, तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 59 / 2020 एवं मु.द.नं. 24 / दावा / 2017

नाराजगी डिकी अदालत – उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना

निर्णय डिकी दिनांक – 23–07–2019

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 08 माह 12 सन् 2020

हाजरी **श्री संजय पाटोदी** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट **श्री सी.पी. खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेन्ट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 23.07.2019 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 22 माह 12 सन् 2020 को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.